ए.

मुन्वा @सतीश ई. टी. सी.

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य (2010 की आपराधिक अपील संख्या 2224-2225) 26 अगस्त, 2022

बी.

[बी**.** आर**.** गवई और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:एसएस।34, 302, 307 – हत्या-दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब कॉलेज के पीड़ित-प्राचार्य अपने पारिवारिक चिकित्सक और निजी चिकित्सक-पीडब्लू-6 के साथ कॉलेज परिसर के अपने कार्यालय के बाहर बैठे थे, तीन व्यक्ति, ए-1, ए-2 और ए-3, कथित तौर पर बरामदे में घुस गए और प्रिंसिपल के साथ-साथ पीडब्लू-6 पर भी गोलियां चलाईं, और भाग गए-प्रिंसिपल को प्राथमिक चिकित्सा दी गई और उसके बाद बैल गाड़ी पर पुलिस स्टेशन ले जाया गया-पीड़ित द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी, उसके बाद अस्पताल भेजा गया जहां कई बंदूक की गोलियों से हुई चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हो गई-निचली अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को धारा 302,307 आर/डब्ल्यू एस के तहत दोषी ठहराया।34 – उच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा-इस बीच ए-2 का निधन हो गया-ए-1 और ए-3 के संबंध में कहा गया:पेश किए गए साक्ष्यों में कुछ स्पष्ट संकुचन हैं-घटना स्थल से रक्त-दाग वाली सामग्री बरामद करने में अभियोजन की विफलता, खाली कारतुस, छर्रों, या अपराध करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई अन्य हथियार, विरोधाभासों और चश्मदीद गवाहों के अप्राकृतिक आचरण के साथ, और दो मृत्यु घोषणाओं में विसंगतियां-अभियोजन ने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है-इस प्रकार, आरोपी संदेह के लाभ का हकदार है, और सभी आरोपों से बरी हो गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

मेघराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(1994) 5** एस**.** सी**.** सी**. 188:[1994] 3** एससीआर **592;** राम सेवक और ओआरएस**.** वी**.**की स्थिति

एम. पी. [(2004) 11 एस. सी. सी 259:2004 (1) पूरक।जेटी 217;

महिबूबसब अब्बासाबी नदाफ बनाम कर्नाटक राज्य

(2007) 13 एससीसी **112:[2007] 8** एस**.** सी**.** आर**. 713-**संदर्भित।संदर्भित विधि निर्णय

जी.

[1994] 3 एससीआर **592**

संदर्भित किया गया है

पैरा **21**

[2007] 8 एससीआर **713**

संदर्भित किया गया है

पैरा **28**

[2010] 5 एससीआर **137**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

एच.

86

87

मुन्वा @सतीश ई. टी. सी. बनाम.उत्तर प्रदेश राज्य ए

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2010 की आपराधिक अपील सं. 2224-2225।

1981 के आपराधिक अपील Nos.290 और 587 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांकित 10.02.2010 के निर्णय और आदेशों से।

बी.

आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., लिखी चंद बोन्सले, राहत बंसल, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

संजय कुमार त्यागी, प्रभात कुमार राय, अजय कुमार पांडे, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

पमिडिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.

1. ये अपीलें 1981 की आपराधिक अपील संख्या 290 और 587 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देती हैं, जो सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा 1979 की धारा 402 में पारित दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करती है।उक्त निर्णय द्वारा, सत्र न्यायाधीश, बरेली ने सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और धारा 307 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें क्रमशः चार साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास और कठोर कारावास की सजा सुनाई।

डी.

2. अभियोजन मामलाःअभियोजन पक्ष का मामला यह है कि, 24.08.1979 पर, लगभग 6:30 दोपहर में, श्री इकबाल बहादुर सक्सेना, चंद्र शेखर आजाद इंटर-कॉलेज, ज्ञानी, उत्तर प्रदेश 1 के प्राचार्य, जब से मृतक अपने पारिवारिक चिकित्सक और निजी चिकित्सक डॉ. असगर अली 2 के साथ कॉलेज परिसर में स्थित अपने कार्यालय के बाहर बरामदे में बैठे थे। उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड फजल मसीह 3 को कॉलेज परिसर के भीतर अपने आवास से दवाओं की एक खाली बोतल लाने के लिए भेजा।जैसे ही पीडब्लू-1 बोतल लेकर लौट रहा था, तीन आरोपी गुल्लू उर्फ राजेश (ए-1), विमल कुमार उर्फ चुन्नू (ए-2) और मुनूवा उर्फ सतीश (ए-3) पर आरोप है कि वे दक्षिण से बरामदे में घुस गए, मृतक के साथ-साथ पीडब्लू-6 पर भी गोलियां चलाईं और इमारत के उत्तर की ओर भाग गए।पीडब्लू-6 पास में स्थित अपनी डिस्पेंसरी में गया और बेहोश हो चुके मृतक को डिस्पेंसरी में लाने के लिए अपनी डिस्पेंसरी में कंपाउंडर महेंद्र कुमार की मदद मांगी।

ई.

एफ.

जी.

1 इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित किया जाता है।2 इसके बाद 'पीडब्लू-6' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

3 इसके बाद 'पीडब्लू-1' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

एच.

प्राथमिक उपचार के लिए एक खाट।उसके बाद, मृतक को अलीगंज पुलिस स्टेशन जाने के लिए खाट के साथ एक बैलगाड़ी पर रखा गया।माना जाता है कि पीडब्लू-6 ने एक और बैलगाड़ी का पीछा किया होगा।

3. पुलिस थाने पहुंचने पर मृतक ने 8 बजे प्राथमिकी दर्ज कराईः30 आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए पी. एम., जिसका एक अनुवादित संस्करण निम्नानुसार हैः-

बी.

" मैं, इकबाल बहादुर सक्सेना पुत्र प्यारे लाल सक्सेना (?)मैं गाँव सराय जटार, उगैत, जिला-बदायूं का निवासी हूँ।मैं गैनी इंटर कॉलेज में प्राचार्य हूँ।मैं ज्ञानी स्कूल के सामने बैठा था।फजल और असगर बैठे थे।शाम करीब साढ़े छह बजे गुल्लू पुत्र मुकुट, विमल कुमार पुत्र दाताराम, गैनी के मुनुआ पुत्र चंद्र सेन पहुंचे और मुझे मारने के लिए देसी पिस्तौल से गोलियां चलाईं।असगर और मुझे गोलियों से मारा गया है।() मैं हूँ?विमल कुमार के मामले में गवाह, इसलिए यह किया गया है।"

सी.

4. हेड कांस्टेबल रघुनाथन लाल 4 द्वारा जनरल डायरी में बयान दर्ज किया गया था, और बयान दर्ज करने के बाद, पीडब्लू-4 ने मृतक को बरेली जनरल अस्पताल में इलाज के लिए बरेली जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए बैलगाड़ी पर विश्रामगंज रेलवे स्टेशन भेजा।कहा जाता है कि सिपाही सोहन लाल 5 उनके साथ थे।पीडब्लू-8 के बयान के अनुसार, मृतक 9 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचेः15 ट्रेन में चढ़ने के लिए शाम को और अंत में 11 बजे तक बरेली जनरल अस्पताल पहुंचेः00 अपराह्न, जहाँ डॉ. जे. एन. भार्गव 6 ने 11 बजे उनकी जाँच कीः15 दूसरी ओर, पीडब्लू-6 की बैलगाड़ी लगभग 10 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचीः00 अपराह्न, उस समय तक मृतक को ले जाने वाली ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी।तदनुसार, पीडब्लू-6 12 में सवार हुआः00 सुबह ट्रेन चलाकर 2 बजे अस्पताल पहुँचेः00 a. m. अगली तारीख को, यानी 25.08.1979।

डी.

ई.

एफ.

5. अस्पताल में मृतक का बयान तहसीलदार और कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्री सुभाष सी. रस्तोगी 7 द्वारा 11 के बीच दर्ज किया गया था:10 ए. एम. से 11:20 डॉ. पी. के. बास 8 से मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद 25.08.1979 पर सुबह।इस बयान में, मृतक ने उस पर हमले की घटनाओं का वर्णन किया, जिसमें उद्देश्य, घटना के स्थान और अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण अंतर थे।

जी.

4 इसके बाद 'पीडब्लू-4' के रूप में संदर्भित किया जाता है।5 इसके बाद 'पीडब्लू-8' के रूप में संदर्भित किया जाता है।6 इसके बाद 'पीडब्लू-11' के रूप में संदर्भित किया जाता है।7 इसके बाद 'पीडब्लू-5' के रूप में संदर्भित किया जाता है।8 इसके बाद 'पीडब्लू-9' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

एच.

89

मुन्वा @सतीश ई. टी. सी. बनाम.उत्तर प्रदेश राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

ए.

इस तरह की साइट, दूसरों के बीच।27.08.1979 पर 2 बजे:35 ए. एम. मृतक की मृत्यु हो गई, और उसी दिन किए गए पोस्टमॉर्टम में सात गोली के घाव, सिलवाए गए घाव और घर्षण दर्ज किए गए, और नोट किया गया कि चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव मृत्यु का कारण थे। 6. जाँच और अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया, और सत्र न्यायाधीश ने आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ प्रत्येक को पढ़ने के लिए धारा 242 और 307 के तहत आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1 से पीडब्लू-11 तक के 11 गवाहों से पूछताछ की और लगभग 28 दस्तावेजों को चिह्नित किया।

बी.

7. ट्रायल कोर्ट:विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के निर्णय द्वारा अपीलार्थियों के इस तर्क पर विचार किया और उसे खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला झूठा था।इसने स्वीकार किया कि एफ. आई. आर. वास्तविक थी और पूर्व-दिनांकित नहीं थी, जो लगभग 8 बजे मृतक के आदेश के बाद दर्ज की गई थी:30 पी. एम. पुलिस स्टेशन पहुँचने पर।एफ. आई. आर. को मृतक की पहली मृत्यु घोषणा के रूप में माना गया।ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार किया कि घटना का स्थान मृतक के कार्यालय के बरामदे के सामने का रास्ता था और कहा कि आरोपी अपराध की घटना के लिए कोई वैकल्पिक स्थान का सुझाव या साबित नहीं कर सकता था। अभिप्रेरण की कमी से संबंधित निवेदन को पहली मृत्यु घोषणा के रूप में मानी जा रही प्राथमिकी के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जिसमें मृतक ने कहा था कि क्योंकि वह ए-2 के खिलाफ एक मामले में गवाह था, और इसलिए ए-2 के खिलाफ उद्देश्य पर्याप्त रूप से साबित हुआ था।हालांकि, ए-1 और ए-3 के खिलाफ एक ही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका।ट्रायल कोर्ट ने जिरह के दौरान चश्मदीद गवाहों पीडब्लू-1 और पीडब्लू-6 के बयानों में सुधार से सामने

आए विरोधाभासों को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि वे आरोपी व्यक्तियों द्वारा धमकी का परिणाम थे जो सबूत दर्ज करने के समय जमानत पर थे।इसने माना कि इन सुधारों ने अभियोजन पक्ष की कहानी को खराब नहीं किया।ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू-5 द्वारा 25.08.1979 पर दर्ज किए गए मृतक के बयान पर विश्वास नहीं किया, जिसे दूसरी मृत्यु घोषणा भी कहा जाता है, क्योंकि यह घटना के 16 घंटे से अधिक समय बाद दर्ज किया गया था, और संभवतः पूर्व परामर्श और विचार-विमर्श का परिणाम था।जैसा कि संकेत दिया गया है, ट्रायल कोर्ट ने अंततः सभी अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पढ़ने के लिए धारा 302 और 307 के तहत दोषी ठहराया। अभियुक्त व्यक्तियों को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित अपराधों के लिए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित अपराधों के लिए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।8. उच्च न्यायालयःअभियुक्त द्वारा दायर आपराधिक अपीलों में, उच्च न्यायालय ने बिना किसी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

भिन्नता।इसने नोट किया कि ए-1 और ए-3 के खिलाफ मकसद ए-2 के साथ उनके जुड़ाव पर केंद्रित था, जिसका अपराध करने का मकसद पर्याप्त रूप से साबित हुआ था।प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू-1 और पीडब्लू-6 की गवाही में विरोधाभास के सवाल पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि विसंगतियों के बावजूद, दोनों गवाह विशिष्ट तथ्यों के बारे में सुसंगत थे, जैसे कि अपराध स्थल पर मौजूद अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या, गोलियों की गोलीबारी और हत्या का हथियार।अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अंतर्विरोध परिणामों की आशंका के परिणामस्वरूप हुए, क्योंकि चश्मदीद गवाह उसी इलाके में रहते थे जहां आरोपी रहते थे।इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने दूसरी मृत्यु घोषणा के रूप में दर्ज मृतक के बयान पर भी अविश्वास किया, इसके अलावा यह ध्यान दिया कि समय के समय पहले दर्ज की गई मृत्यु घोषणा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और बाद की ऐसी घोषणा द्वारा इसकी पुष्टि केवल विवेक का नियम है, जो पहली मृत्यु घोषणा की सामग्री को

दूषित नहीं करता है।हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, ए-2 का निधन हो गया था, और तदनुसार वर्तमान अपील केवल ए-1 और ए-3 के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा से संबंधित है।

बी.

सी.

डी.

9. बार में प्रस्तुतियाँःहमने श्री वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., ए. ओ. आर. को विस्तार से सुना और उनकी दलीलों को बाद में श्री आर बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री लिखी चंद बोन्सले और श्री राहत बंसल, अधिवक्ताओं द्वारा सहायता प्रदान की गई।हमने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से श्री संजय कुमार त्यागी, ए. ओ. आर. को श्री प्रभात कुमार राय और श्री अजय कुमार पांडे, अधिवक्ताओं द्वारा सहायता प्रदान करते हुए भी सुना।

ई.

10. शुरुआत में, श्री वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर. ने प्रस्तुत किया है कि एफ़. आई. आर. स्वयं झूठी और मनगढ़ंत है और एफ़. आई. आर. के अदालत तक पहुँचने में देरी से संबंधित बाद की घटनाएं भी घटना की घटना के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती हैं।उन्होंने आगे कहा कि घटना के स्थान के बारे में संदेह है, और चश्मदीद गवाहों पीडब्लू-1 और पीडब्लू-6 की गवाही में विरोधाभास सामने आते हैं।वह प्रस्तुत करता है कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-6 का आचरण बल्कि संदिग्ध और बहुत अप्राकृतिक है।यदि इन चश्मदीद गवाहों को खारिज कर दिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं हैं, विशेष रूप से जब मामले में हथियारों की कोई बरामदगी नहीं होती है।दूसरी ओर, एस। संजय कुमार त्यागी ने प्रस्तुत किया है कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निष्कर्ष विश्वसनीय और विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित हैं, विशेष रूप से चश्मदीद गवाहों से, जिन्हें दोषी ठहराने और आरोपी की गिरफ्तारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी।उन्होंने आगे कहा कि निचली अदालत ने पूरे साक्ष्य की जांच की और अपने ए पर आने के लिए अच्छे और वैध कारण दिए हैं।

एफ.

जी.

एच.

निष्कर्ष, और इसलिए, उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखने में सही था।

11. विश्लेषणःदलीलों को सुनने के बाद, हम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में कुछ स्पष्ट विसंगतियों को देखते हैं।हम ऐसी कुछ महत्वपूर्ण खामियों पर ध्यान देंगे।

बी.

12. शुरुआत में, हम श्री वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर. के इस कथन से प्रभावित नहीं हैं कि एफ. आई. आर. पर मृतक द्वारा अलग-अलग स्याही में ऊर्ध्वाधर रूप से हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि एफ. आई. आर. की सामग्री स्वयं क्षैतिज रूप से लिखी गई थी, जिससे यह धारणा बनती है कि एफ. आई. आर. हस्ताक्षर के बाद लिखी गई थी जो एक पूर्व बिंदु पर प्राप्त की गई थी।हालांकि, कुछ स्पष्ट विरोधाभास हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।सबसे पहले, इस बात पर संदेह है कि क्या मृतक ने प्राथमिकी लिखी और इसे पुलिस को सौंप दिया, जैसा कि पीडब्लू-1 की प्रतिपरीक्षा में कहा गया है, या यह मौखिक रूप से मृतक द्वारा निर्देशित किया गया था और पीडब्लू-4 द्वारा लिखा गया था, जैसा कि पीडब्लू-6 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा था।जिस तरह से एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी, उस पर संदेह जताने वाला दूसरा जुड़ा हुआ तथ्य अदालत में इसकी प्राप्ति में हुई देरी है।मूल एफ़. आई. आर. में निहित एक समर्थन में कहा गया है कि यह एफ़. आई. आर. दर्ज करने की तारीख के तीन दिन बाद 27.08.1979 पर संबंधित अदालत में पहुँचा। यह समर्थन मूल एफ. आई. आर. दस्तावेज़ से स्पष्ट है और इसमें लिखा है "संबंदीथ न्यायालय बेजा"।”13. रीःनेत्र गवाहःचश्मदीद गवाहों के आचरण और गवाही के बारे में संदेह हैं।पीडब्लू-1 की गवाही में इस तरह का पहला विरोधाभास मूल रूप से इस आधार को चुनौती देता है कि पीडब्लू-1 एक चश्मदीद गवाह था।अपनी गवाही में, पीडब्लू-1 ने शुरू में अपराध के वास्तविक अपराध का गवाह होने से इनकार करते हुए कहा किः

सी.

डी.

ई.

“ गोली तब चलाई गई जब मैं अंदर गया था।जब मैं एक खाली बोतल लाया तो मैंने आरोपी विमल कुमार, मुनुआ और गुल्लू को भागते देखा।ये लोग दक्षिण की ओर भाग रहे थे।जब मैंने अभियुक्तों को भागते देखा, तो मैं कार्यालय के बरामदे में पहुँच गया था।”

एफ.

14. बाद में, अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू-1 ने कहा किः-

जी.

“ऐसा नहीं है कि जैसे ही मैं एक खाली बोतल लेकर बरामदे की सीढ़ियों के पास पहुँचा, अभियुक्त व्यक्तियों ने गोलियां चलाईं।और मेरी उपस्थिति में गोलियां चलाने के बाद आरोपी लोग उत्तर की ओर भाग गए।

एच.

15. पीडब्लू-1 के साक्ष्य में उपरोक्त विरोधाभास और गवाही में महत्वपूर्ण सुधार, अपराध की घटना के कथित स्थान पर उसकी उपस्थिति के बारे में संदेह पैदा करते हैं।कम से कम एक बात तो स्पष्ट है कि उसने मृतक पर आरोपी की गोलीबारी नहीं देखी है।16. दूसरी चिंता पुलिस स्टेशन में उसकी उपस्थिति से संबंधित है।पीडब्लू-1 ने बयान दिया कि उनके अंगूठे का निशान प्राथमिकी पर लिया गया था। हालांकि, दस्तावेज़ पर ऐसा कोई अंगूठे का निशान नहीं है।इस विरोधाभास को संबोधित करते हुए, निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि,

बी.

“ऊपर उल्लिखित बयान बचाव पक्ष का समर्थन करने के उद्देश्य से दिए गए थे और मैं इस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता।”

सी.

17. साक्ष्य के अवलोकन पर किया गया एक अन्य अवलोकन यह है कि पीडब्लू-1 ने कहा कि वह पैदल अलीगंज पुलिस स्टेशन पहुंचा, लगभग 25-30 मिनट तक वहाँ रहा, और उसके बाद रात 8 से 9 बजे तक गाँव ज्ञानी लौट आया। यह बयान दिलचस्प है, क्योंकि प्राथमिकी स्वयं 8 बजे दर्ज की गई थीः30 पी. एम यह तब आश्चर्य की बात है कि पीडब्लू-1, जो पुलिस स्टेशन तक 3 किमी की दूरी तय कर गया था, समय पर वहां पहुंचा और मृतक को प्राथमिकी लिखते हुए देखा, कथित तौर पर उस पर खुद हस्ताक्षर किए, एस. आई. द्वारा उसका बयान दर्ज कराया, और उसके बाद वापसी यात्रा भी पूरी की, सभी रात 8 से 9 बजे तक। यह भी दिलचस्प है कि वह मृतक के साथ रेलवे स्टेशन और अंततः अस्पताल नहीं गया जब वह गंभीर स्थिति में था, यह देखते हुए कि वह परिसर के भीतर मृतक के साथ रहता था और वहाँ 10-12 वर्षों से काम कर रहा था।

डी.

ई.

18. कुल मिलाकर, उपर्युक्त अंतर्विरोध पीडब्लू-1 की प्रत्यक्षदर्शी गवाही के बारे में संदेह पैदा करते हैं।चाहे वह घटना स्थल पर मौजूद था या मृतक के साथ पुलिस स्टेशन गया था, इस पर संदेह है क्योंकि घटना स्थल के आसपास की परिस्थितियों और प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित उसके बयान असत्य पाए गए हैं, और उसका आचरण अप्राकृतिक है।19. इसी तरह, हम प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू-6 की ओर से अप्राकृतिक आचरण को देखते हैं।बरेली के सामान्य अस्पताल में पीडब्लू-6 की जांच करने वाले पीडब्लू-11 ने कहा कि पीडब्लू-6 पर चोटें सरल प्रकृति की थीं।इसके बावजूद, घटना के तुरंत बाद, पीडब्लू-6, एक डॉक्टर, जिसने मृतक के साथ रहने के बजाय मृतक के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे, अपने घर गया और आराम किया। बाद में, वह मृतक को उचित उपचार देने के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय अपराध की रिपोर्ट करने के लिए मृतक के साथ पुलिस स्टेशन गया, भले ही वह ए हो।

एफ.

जी.

एच.

93

मुन्वा @सतीश ई. टी. सी. बनाम.उत्तर प्रदेश राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

यह स्वीकार किया गया है कि मृतक की हालत बहुत गंभीर थी, उसे सात गोलियां लगी थीं और खून बह रहा था।

20. रीःघटना का स्थानःअपराध की घटना के स्थान के बारे में बहुत अनिश्चितता है।एफ. आई. आर. के साथ-साथ पीडब्लू-1 और पीडब्लू-6 के साक्ष्य के अनुसार, घटना बरामदे के सामने के मार्ग में हुई, जहाँ मृतक और पीडब्लू-6 एक-दूसरे के सामने दो कुर्सियों में बैठे थे।यही वह स्थान है जहाँ अभियुक्तों पर मृत व्यक्ति पर गोली चलाने का आरोप है जिससे उसके शरीर पर सात गोलियां लगी हैं।घटना स्थल के बारे में पूछताछ करने वाले इंस्पेक्टर चोब सिंह (पीडब्लू-7) ने कहा है कि उन्हें कुर्सी या कुर्सी के चारों ओर फर्श पर खून के धब्बे नहीं मिले हैं।यह पीडब्लू-1 की गवाही के विपरीत है, जिसने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि जब मृतक एक खाट में बैलगाड़ी पर लेटा हुआ था, तो उससे खून बह रहा था, जो घटना स्थल पर लगी चोटों से संबंधित है।

बी.

सी.

21. यह अस्वाभाविक है कि जिस कुर्सी या फर्श पर मृतक और पीडब्लू-6 बैठे थे, वहां से खून की एक बूंद भी नहीं मिली या बरामद नहीं हुई, जिससे घटना स्थल के बारे में अभियोजन पक्ष की कहानी की सच्चाई के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है।यह सामान्य ज्ञान है कि जिस स्थान पर गंभीर शारीरिक चोट लगती है, वह स्वाभाविक रूप से घटना का निशान छोड़ देता है।

अभियोजन पक्ष के लिए खून से सना मिट्टी, कपड़े या अन्य सामग्री का प्रमाण एकत्र करना भी आम बात है, जहां से घटना हुई होगी।

डी.

ई.

9 मेघराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1994) 5 एस. सी. सी. 188] में, इस न्यायालय ने कहा, "कृपाल सिंह के खेत में किसी भी रक्त की अनुपस्थिति के साथ-साथ कृपाल सिंह के खेत से उस स्थान तक रक्त के निशान की अनुपस्थिति जहां मृत शरीर पाया गया था, जैसा कि पीडब्लू 8 द्वारा स्वीकार किया गया था, यह भी बताता है कि घटना अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाए गए तरीके से नहीं हुई थी और लड़ाई की उत्पत्ति को अदालत से दबा दिया गया था।"

एफ.

राम सेवक और ओआरएस. वी. के मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण लिया गया था।एम. पी. राज्य [(2004) 11 एस. सी. सी. 259], जिसमें यह आयोजित किया गया था, "14.We यह भी ध्यान देता है कि घटना स्थल के संबंध में भी काफी संदेह है।चिकित्सा साक्ष्य से हम देखते हैं कि मृतक को 3 बड़े घाव हुए थे जिससे रक्त वाहिकाएं टूट गईं और उसका हाथ कलाई के पास से काट दिया गया और शव घटनास्थल पर पड़ा हुआ था जब तक कि पुलिस नहीं आई जो लगभग 4 से 5 घंटे बाद था लेकिन फिर भी जांच एजेंसी को मौके पर कोई खून नहीं मिला।बेशक, अभियोजन पक्ष ने स्पष्टीकरण दिया है कि घटना के बाद बारिश हुई थी, लेकिन तब भी यह विश्वास करना मुश्किल है कि बारिश के बावजूद मिट्टी पर खून के निशान भी नहीं मिल सकते थे।ऐसी किसी भी सामग्री की अनुपस्थिति भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करती है कि विचाराधीन घटना घटना के स्थान पर नहीं हुई होगी।

जी.

एच.

22. इस पहलू पर पीडब्लू-6 के साक्ष्य में केवल एक स्पर्शिक अवलोकन है, जिसने कहा कि मृतक के "घायल शरीर के हिस्से को तहमंद से लपेटा गया था"।यह बयान अपराध स्थल पर खून के धब्बों की कमी की व्याख्या करने में विफल रहा है।यह स्पष्ट नहीं करता है कि उक्त कपड़ा, तहमंद, अभियोजन पक्ष द्वारा क्यों नहीं बनाया गया था।तदनुसार, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष की कुर्सी या उस स्थान पर खून की बरामदगी की व्याख्या करने में विफलता जहां मृतक बैठा था जब उसे सात बार गोली मारी गई थी, घातक है।खून से सने कपड़ों का उत्पादन न होना भी उतना ही घातक है।

बी.

23. रीःसामग्री की वसूली की कमीःवर्तमान मामले में,

अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने मृतक पर आग्नेयास्त्रों की सहायता से हमला किया था, और मृतक को सात गोली के घाव होने की उम्मीद है, फिर भी अभियोजन पक्ष अपराध की घटना के स्थान से सामग्री बरामद करने में विफल रहा है।अभियोजन पक्ष ने न तो अपराध स्थल से खाली कारतुस और न ही मृतक के शरीर से छर्रों को पेश किया है।अभियोजन पक्ष घटना में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए किसी भी हथियार को बरामद नहीं कर पाया है।इसके अलावा, अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व था कि वह बैलिस्टिक विशेषज्ञों की जांच करे ताकि यह साबित किया जा सके कि गोलियां एक या अलग बंदूक से आई थीं या नहीं।हालाँकि, अभियोजन पक्ष बैलिस्टिक विशेषज्ञों की जाँच करने या खाली कारतुस भी पेश करने में विफल रहा।शायद यह खाली कारतुस की किसी भी बरामदगी की कमी की परिस्थिति में है कि अभियोजन पक्ष ने एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच नहीं करना सुविधाजनक पाया।इस तरह की सामग्री की बरामदगी की कमी अभियोजन पक्ष की कहानी के बारे में संदेह को बढ़ाती है जिस तरह से उन्होंने निर्धारित किया है।

सी.

डी.

ई.

24. रीःदो मरने वाली घोषणाओं में विसंगतियाँःअंत में,

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपराध के उद्देश्य, घटना के स्थान और ऐसे स्थान पर अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति के बारे में मृतक की दो मृत्यु घोषणाओं में विसंगतियां हैं।पहली मृत्यु घोषणा, एफ़. आई. आर., मृतक द्वारा 24.08.1979 पर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।इसमें कहा गया है कि 6 बजेः30 दोपहर में, तीनों आरोपी आए और उस पर और पीडब्लू-6 पर पिस्तौल से गोली चला दी क्योंकि वह ए-2 के खिलाफ एक मामले में गवाह था। 25.08.1979 पर पीडब्लू-9 से चिकित्सा प्रमाणन के बाद पीडब्लू-5 द्वारा दर्ज की गई दूसरी मृत्यु घोषणा में कहा गया है कि यह घटना उनके क्वार्टर के गेट के सामने हुई थी, जिसके सामने ए-3 की आटा मिल स्थित है।तीन आरोपी आटा मिल से आए थे, और ए-1 और ए-2 ने एक रिवॉल्वर से गोली चलाई, जबकि ए-3 ने उसे पकड़ लिया।इसमें यह भी कहा गया है कि संबंधित समय और स्थान पर उनके चपरासी सखार अली बेग और 5 से 6 अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। विशेष रूप से, उन्होंने कहा कि उनके पास ए था

एफ.

जी.

एच.

11 वीं कक्षा में असफल होने के बाद ए-2 को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया और इसने अपराध को प्रेरित किया।

25. ट्रायल कोर्ट ने 27.08.1979 पर दिए गए बयान को मृत्यु घोषणा के रूप में खारिज कर दिया, यह देखते हुए किः

"इकबाल बहादुर सक्सेना द्वारा प्रस्तुत किए गए नए तथ्य एक संदेह पैदा करते हैं कि यह मृत्यु घोषणा परामर्श का परिणाम थी और इसलिए मैं इस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं मानता।"

बी.

26. बाद में मृत्यु घोषणा के बारे में इस निष्कर्ष को उलट दिए बिना, उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि दो मृत्यु घोषणाओं की स्थिति में, अदालत उस घोषणा को स्वीकार कर सकती है जो समय से पहले दर्ज की गई है, और बाद की घोषणा द्वारा पहली मृत्यु घोषणा की पुष्टि केवल विवेक का नियम है।

सी.

27. हमारी राय में, दूसरी मृत्यु घोषणा जिसमें बहुत अधिक परिवर्धन और सुधार शामिल थे, परीक्षण और उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।मृतक के गंभीर हालत में अस्पताल के लिए रवाना होने से ठीक पहले पुलिस स्टेशन में पहली घोषणा दर्ज की गई थी, बिना किसी प्रमाणन के कि मृतक मृत्यु की घोषणा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट था या नहीं।वास्तव में, इसकी पुष्टि पीडब्लू-8 की गवाही से होती है, जिसने कहा कि मृतक अस्पताल जाते समय अर्ध-बेहोशी की स्थिति में था।इसके अलावा, मृतक की जांच करने वाले पीडब्लू-11 ने यह भी कहा कि उसकी हालत गंभीर थी।जिन संदिग्ध परिस्थितियों में एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी, जिसे पहली मृत्यु घोषणा के रूप में माना जाना चाहिए, हम अपने विश्लेषण के प्रारंभिक भाग में पहले ही विचार कर चुके हैं।इन सभी कारणों से, हमारी राय है कि एफ. आई. आर. को मृत्यु घोषणा के रूप में भी मानना सुरक्षित नहीं है।

डी.

ई.

एफ.

28. महिबूबसब अब्बासाबी नदाफ बनाम कर्नाटक राज्य 10 में,

इसी तरह इस न्यायालय ने अपनी स्पष्ट विसंगतियों के आलोक में कई मृत्यु घोषणाओं में से किसी को भी स्वीकार करने से परहेज किया थाः

"7. दोषसिद्धि निर्विवाद रूप से मृत्यु घोषणा पर आधारित हो सकती है।लेकिन, इस पर कार्रवाई करने से पहले, यह माना जाना चाहिए कि इसे स्वेच्छा से और सच्चाई से प्रस्तुत किया

गया था।मृत्यु घोषणा में निरंतरता उस पर पूर्ण निर्भरता रखने के लिए प्रासंगिक कारक है।इस मामले में, मृतक ने स्वयं विरोधाभासी और असंगत रुख अपनाया था।

जी.

एच.

10 (2007) 13 एससीसी 112।

विभिन्न मरने वाली घोषणाएँ।इसलिए, उन्हें उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।इस संबंध में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।"

29. निष्कर्ष -मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, और यह नोट करने के बाद कि अभियोजन पक्ष घटना स्थल से रक्त-दाग वाली सामग्री, खाली कारतुस, छर्रों, या अपराध करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई अन्य हथियार, साथ ही चश्मदीद गवाहों पीडब्लू-1 और पीडब्लू-6 के विरोधाभास और अप्राकृतिक आचरण और दो मृत्यु घोषणाओं में विसंगतियों को बरामद करने में विफल रहा, हम मानते हैं कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है, और आरोपी को संदेह का लाभ दिए जाने का अधिकार है।

बी.

सी.

30. तदनुसार, अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहने की स्थिति में, अभियुक्त सभी आरोपों से बरी होने का हकदार होगा। परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैं:-

आई**. 2010** की आपराधिक अपील संख्या **2224-2225** की अनुमति है।

डी.

ii.इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 1981 की आपराधिक अपील संख्या 290 और 587 में पारित निर्णय और 1979 की सत्र सुनवाई संख्या 420 में बरेली के सत्र न्यायाधीश के निर्णय को रद्द कर दिया गया है।

ई.

iii.अपीलार्थियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है और उनके जमानत बांड को खारिज कर दिया जाता है।लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हैं, तो उपरोक्त के संदर्भ में निपटाए जाते हैं।

एफ.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

जी.

एच.